राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 27/2009

मोहन सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

2. जिला कलेक्टर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.01.2009

आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.पी.माथुर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी के पद पर सांभर तहसील, जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 19.03.1982 को नियमित वेतनमान 240–290 में कार्यग्रहण किया और आदेश दिनांक 13.05.1983 के द्वारा अपीलार्थी को दैनिक वेतन भोगी में परिवर्तित किया गया, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 448/1983 प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 13.07.1984 के द्वारा आदेश पारित करते हुये स्वीकार की गई और अपीलार्थी को निरंतर उक्त आधार पर कार्यरत रखा गया और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.01.1984 के द्वारा अपीलार्थी का वेतनमान पुन निर्धारण करते हुये 399–450 वेतनमान नियम 1983 के तहत निर्धारित किया गया। अपीलार्थी को स्थायी स्वीकृत पद विरूद्ध चैनमैन के पद पर निरंतर किया गया। आदेश दिनांक 03.05.2000 के द्वारा उक्त पद को समाप्त कर दिया गया और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.06.2000 के

द्वारा अधिशेष घोषित कर दिया गया तथा अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1297/2000 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2007 को आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन निस्तारण करने का निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये, जिसमें अपीलार्थी ने चैनमैन के पद के संबंध में एवं पद स्वीकृत के संबंध में तथा स्वयं के पदस्थापन के संबंध में और वेतन निर्धारण के संबंध में अभ्यावेदन में उल्लेख किया। परंतु राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण का लाभ एवं चैनमैन के पद पर पदस्थापन के संबंध में इनकार कर दिया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उचित आदेश फरमाते हुये आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का वेतनमान नियम, 1983, 1986 एवं 1989 इत्यादि के अंतर्गत निर्धारित करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावें तथा 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा शेष राशि सहित उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के चैनमैन के पद पर पदस्थापन के संबंध में अभ्यावेदन का निस्तारण नियमानुसार किया जा चुका है और वेतनमान एवं समस्त परिलाभ आदि का भुगतान भी नियमानुसार दिया जा चुका है और अपीलार्थी द्वारा अपील में चाहे गये अनुतोष निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चतुर्थ श्रेणी के पद पर सांभर तहसील, जिला जयपुर में कार्यरत है। अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 448/1983 प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 13.07.1984 के द्वारा आदेश पारित करते हुये स्वीकार की गई और अपीलार्थी को निरंतर उक्त आधार पर कार्यरत रखा गया और वित्त विभाग के आदेश दिनांक

31.01.1984 के द्वारा अपीलार्थी का वेतनमान पुन निर्धारण करते हुये 399–450 वेतनमान नियम 1983 के तहत निर्धारित किया गया। अपीलार्थी को स्थायी स्वीकृत पद विरूद्ध चैनमैन के पद पर निरंतर किया गया। जहां तक अपीलार्थी को चैनमैन के पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि चैनमैन का पद समाप्त हो जाने के आधार पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.06.2000 के द्वारा अधिशेष घोषित किया गया और तदुपरांत उसे उसके समकक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1297/2000 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2007 को आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उसका निस्तारण किया गया। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा पुनः अपील में उन्हीं तर्कों का उल्लेख किया गया है, जो पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है और जिसकी पालना भी की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य